

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/प्रयो.सहा./एफ-31621/2025/35

दिनांक : 27/01/2025

आदेश

श्रीमती कामिनी शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी झालरापाटन, झालावाड का दिनांक 25.01.2024 को तलाक हो जाने एवं पारिवारिक न्यायालय झालावाड द्वारा जारी (विवाह विच्छेद) डिक्री पारित किये जाने के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम-8 के नियमानुसार सेवापुस्तिका से पति का नाम हटाते हुये पिता का नाम जोडने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/प्रयो.सहा./एफ-31621/2025/35

दिनांक : 27/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिका की सेवापुस्तिका में उक्त आदेश अनुसार इन्द्राज करवाया जाना सुनिश्चित करे।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झालरापाटन, झालावाड ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
4. श्रीमती कामिनी शर्मा, प्रयोगशाला सहायक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी को।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :25-01-2025 05:19:59